

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

खेत नं. देवू भी वच्यु सिंह रसपुर

खेत नं. 332 खेत नं. 18

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इतिवृत्त जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
15/2/18	<p>पटवारी हलका की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर फ़ावली दिनांक 28.2.18 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार तहसील-महवा (बीसा)</p>	P Singh.
28/2/18	<p>फ़ावली पेश हुई। आवक लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित रहा है। आज श्री मान पीलसीन अधिकारी उपलब्ध पर है फ़ावली दिनांक 8/3/18 को पेश हो।</p>	P Singh.
8/3/18	<p>फ़ावली पेश हुई। आवक लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी को किराया जाना स्वीकार किया गया है। अतः ग्राम पीतलेश बालजी की अतिक्रमी भूमि से अतिक्रमी को आर्थिक रूप से किराया किया जाता है। किराया विशेष पृथक में लिखा जाकर संलग्न फ़ावली है।</p> <p>तहसीलदार तहसील-महवा (बीसा)</p>	P Singh.

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 332/18 तारीख रज. 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का दौसा बनाम
देवू पुत्र बच्चुसिंह जाति अभ्युत निवासी पीतलिया बालजी तहसील
मेढवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 8/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मेढवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री देवू ने ग्राम पीतलिया बालजी को भूमि ख.न. 838 रकबा 0-02 किस्म गोमुरस्त फसल रवि / खरीक संवत 20 74 में ज कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0-02 किस्म गोमुरस्त वाके ग्राम पीतलिया बालजी से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0-8800-50 गुणा 4400 शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल ज को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Signature]
 तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/म के पेश की 65 पद
 वर्ष 20/7-18
 की रजि. तहसील 4400
 की जमा कायमी की गवा [Signature]
 दिनांक 21/3/18 तहसील-महवा
 लेखाकार
 तहसील-महवा